न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1659/2005/बाडमेर</u>

1. मेघा
2. माला
3. खानू
4. पता

–पुत्रगण गिरधारी समस्त जाति भील निवासीगण भीलों का पार, तहसील रामसर जिला बाडमेर

–वादीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1. हकीम पुत्र भीया
2. गोकला पुत्र भीया – मृतक (जरिये कायममुकाम)
   2/1. कालू पुत्र गोकला
   2/2. रणजीता पुत्र गोकला
   2/3. राहमत पुत्री गोकला
   –समस्त जाति भील निवासीगण भीलों का पार, तहसील रामसर जिला बाडमेर
3. सेफल पुत्र कला जाति मुसलमान निवासी तालाब का पार तहसील रामसर जिला बाडमेर
4. अकूखां उर्फ अकबर पुत्र बलू खान जाति मुसलमान निवासी गगरिया स्टेशन, तहसील रामसर जिला बाडमेर
5. सलीम पुत्र कमला
6. बचू पुत्र कमाल
7. कमाल पुत्र गुला
   –समस्त जाति मुसलमान निवासी कंटालिया का पार तहसील रामसर जिला बाडमेर
8. सवाईसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी रामसर जिला बाडमेर
9. गुणेशा पुत्र रामरख जाति लख**ारा** निवासी गगरिया स्टेशन, तहसील रामसर जिला बाडमेर
10. नेनू पुत्र रामरख – मृतक (जरिये कायममुकाम)
    10/1. बगताराम पुत्र नेनू जाति लखारा निवासी निवासी गगरिया स्टेशन, तहसील रामसर जिला बाडमेर हाल आबाद बालोतरा
    10/2. जगदीश पुत्र नेनू
    10/3. श्रीमती मौरू पत्नि नेनू
    –समस्त जाति लखारा निवासीगण गगरिया स्टेशन, तहसील रामसर जिला बाडमेर
11. इनायत पुत्र कला जाति मुसलमान
12. हेजम पुत्र होती जाति मुसलमान
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर

– प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री दूनीचंद, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय
दिनांकः- 07-06-2022

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर-जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-01-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 53, 188 के तहत खसरा संख्या 94 व 98 भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 2 व 10 ने अपने जवाबदावे में दावे को डिक्री किए जाने का निवेदन किया। राज्य सरकार ने अपने जवाबदावे में दावे को खारिज करने का निवेदन किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8, 12 व 13 ने अपने जवाबदावे में वाद को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को अलग-अलग विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 04-07-2004 पारित करते हुए वादीगण के वाद को प्रमाणित नहीं होना दर्शाते हुए खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण/वादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-1-2005 से

खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रश्नगत रकबा गिरधारी, पूनमा व भीया की सयुंक्त खातेदारी का होकर उसमे प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। आगे बताया कि प्रदर्श–4 द्वारा किया गया बंटवारा गलत है क्योंकि वादीगण अविभाजित भूमि खसरा संख्या 94 व 98 दोनों का सहखातेदार था और बंटवारा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट से भी खसरा संख्या 98 पर ढाणी है। यहीं नहीं गवाहान के बयानात से भी आराजी पर वादीगण के झूपे है। आगे बताया कि बिना बंटवारे के सहकाश्तकार का कब्जा पूरी भूमि पर माना जायेगा तथा सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे का प्रावधान भी लागू नहीं होता है। उनका तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा मामले में खालसा घोषित आराजी में से वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी का था। अतः प्रश्नगत आराजी की खातेदारी के बारे में अवैध रूप से किए गए परिवर्तन को दुरूस्त करवाने तथा खातेदारी अधिकार पाने के वादीगण अधिकारी है। आगे बताया कि मामले में तस्दीक नामान्तरकरण की कार्यवाही का मूल दावे की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–01–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–7–2004

को निरस्त करते हुए वादीगण के वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद समवर्ती निर्णयों से खारिज किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि वादी अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पर विपक्षी का अतिक्रमण हो। उनका कहना है कि प्रश्नगत आराजी को उनके द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय की है। यहीं नहीं आराजी पर दुकानें बनने के कारण व सडक निर्माण होने के कारण वादीगण ने बदनीयतिपूर्वक वाद दायर किया है। उनका कहना है कि आंशिक प्रश्नगत रकबा आबादी में परिवर्तित हो गया है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनथ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण/अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेंर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 94 व 98 में उनका 1/3 हिस्सा निहित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी से प्रमाणित होता है कि पूनमा व भीया के

हिस्से की भूमि खालसा दर्ज की गई है तथा नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 04–3–1975 (प्रदर्श–3) व नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 27–9–1979 (प्रदर्श–4) तस्दीक किये गये हैं। मामले में सम्पादित नामान्तरकरण से यदि अपीलार्थी सहमत नहीं थे तो उन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देकर चाराजोही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वादीगण के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 94 में दिया जाना रेकार्ड से साबित है। उल्लेखनीय है कि मामले में नामान्तरकरण संख्या 81 प्रदर्श–4 जो कि वर्ष 1979 में तस्दीक किया जाकर उसके आधार पर जमाबंदी निर्मित्त की जा चुकी है। नामान्तरकरण की जानकारी वादीगण के पिता को होते हुए भी इसे तत्समय चुनौती नहीं दी गई। रेकार्ड से यह भी प्रमाणित है कि 10 बिस्वा भूमि जो कि रकबाराज घोषित की गई है उस पर मकान व झोपें कायम हो गए है। सांराशतः मामले में तस्दीक आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही अन्तिम हो चुकी है। अतः उक्त नामान्तरकरण के अनुसार खसरा संख्या 98 की 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि रकबाराज की गई तथा उसमें जो हिस्सा वादीगण का निहित था वह उन्हें खसरा संख्या 94 में दिया जा चुका है। रेकार्ड से यह भी प्रमाणित है कि प्रश्नगत आराजी का बंटवारा हो चुका है तथा उक्त बंटवारे को वादीगण के पिता ने स्वीकार किया है। हमारी राय में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण/अपीलार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 98 की 10 बिस्वा भूमि पर आबादी बस चुकी है और इस भूमि बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान करना प्रतिबंधित है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने मूल वाद एवं अपील में निहित मुख्य विवाद बिन्दु पर पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद एवं अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर-जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-01-2005 एवं सहायक कलक्टर, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04-07-2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य